कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
आगरा– मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़,
96, ग्वालियर रोड़, आगरा।

पत्रांकः– प्र0नि0 / एएमसीटीएसएल / आगरा / निविदा / 2021– 571 दिनांक– 01-7-2021

निविदा

आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, मथुरा इकाई में 01 नई टाटासूमो / महिन्द्रा बुलेरो एवं उसके समकक्ष (अधिकतम एक वर्ष पुरानी) अच्छी दशा की वातानुकूलित वाहन तीन वर्ष के लिए निम्न शर्तों के आधार पर अनुबन्ध कर सम्बद्ध किये जाने हेतु निविदा दिनांक 13.07.2021 को समय 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो व्यक्ति / फर्म / टैवल्स एजेन्सी निम्न शर्तों पर वाहन अनुबन्ध करना चाहते है, वह अपनी निविदा कार्यालय आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, 96 ग्वालियर रोड, आगरा में प्राप्त करा सकते है। निविदा दिनांक 14.07.2021 को ही समय 14:00 बजे खोले जायेगी। निविदा रू0 100+जीएसटी का भुगतान कर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, 96 ग्वालियर रोड़, आगरा से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.07.2021 से 12.07.2021 को समय 16:00 बजे तक कय की जा सकती है।

शर्ते

1. टैक्सी का पंजीकरण उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। नई टाटासूमों / महिन्द्रा बुलेरो केवल डीजल / पैट्रोल से चलने वाली (सीएनजी नहीं) या उसके समकक्ष अच्छी दशा की अधिकतम एक वर्ष पुरानी वातानुकूलित वाहन अनुबंधित की जायेगी।
2. वाहन स्वामी / ट्रैवेल्स एजेन्सी को वाहन को तीन वर्ष के लिए एएमसीटीएसएल, आगरा में सम्बद्ध की जायेगी।
3. टैक्सी का मासिक भुगतान अधिकतम रू0 32000 / – का होगा जिसमें चालक, पैट्रोल / डीजल, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस एवं आल इण्डिया टैक्सी परमिट आदि के समस्त खर्चे सम्मलित होंगे।
4. वाहन / टैक्सी का मासिक किमी0 2000 प्रतिमाह संचालित होगी जिसको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता हैं
5. वाहन की पार्किंग, सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर अथवा कोई बीमा संबंधी वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
7. वाहन स्वामी / ट्रेवेल्स एजेन्सी अथवा चालक को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
8. वाहन स्वामी / ट्रेवेल्स एजेन्सी द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासी पता, मोबाइल नम्बर तथा चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित फोटो प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक का), निवास प्रमाण पत्र संबन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया होगा।
9. संबन्धित अधिकारी के साथ वाहन स्वामी / ट्रैवेल्स ऐजन्सी के द्वारा लगाये गये वाहन के मेन्टीनेन्स / खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर वाहन स्वामी द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
10. मासिक किराया के आधार पर प्रयुक्त वाहन की लॉगबुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जाना होगा तथा आवंटित अधिकारी द्वारा किमी0 एवं लॉगबुक स्थापित की जायेगी।
11. मासिक बिल की धनराशि में नियमानुसार इनकम टैक्स / जीएसटी तथा अन्य कर काटकर भुगतान किया जायेगा।
12. वाहन स्वामी / ट्रैवेल्स एजेन्सी द्वारा मासिक बिल संबन्धित अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा। संबन्धित अधिकारी द्वारा बिल सत्यापित कर प्रबन्ध निदेशक, एएमसीटीएसएल, आगरा को भेजा जायेगा, जिसके द्वारा समस्त कटौती एवं उस समय देय करों की कटौती करके वाहन स्वामी / ट्रैवेल्स एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा।
13. चालक के ड्यूटी के दौरान अथवा बाद में भी अमर्यादित आचरण एवं गातिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसे तत्काल ड्यूटी से हटाकर दूसरा चालक देना होगा।
14. अनुबन्ध की अवधि में वाहन का किसी अन्य व्यवसाय / अपराधिक गतिविधियों में पाये जाने पर तत्काल अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
15. उपरोक्त विवरण के अनुसार अपने वाहन की मासिक दर वाहन स्वामी / ट्रेवेल्स एजेन्सी को देना होगा साथ ही यदि कोई अतिरिक्त सुविधा दे सकता है तो उसका उल्लेख निविदा में अंकित करना होगा।
16. निविदा के साथ वाहन स्वामी / ट्रेवेल्स एजेन्सी द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए रू0 5000 / – बैंक डाफ्ट जो, आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा के नाम देय होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. वाहन स्वामी / ट्रैवेल्स एन्जेसी को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र निवास प्रमाण–पत्र एवं अनुबन्ध निष्पादन हेतु रू0 100.00 के नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर निविदा स्वीकृत होने पर अनुबन्ध अंकित करना होगा।

18. वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार 24 घंटे किया जा सकता है वाहन स्वामी/ट्रैवेल्स एजेन्सी को संबन्धित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक नियत समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. आगरा–मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आगरा हेतु अनुबन्ध की गई वाहन का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, एएमसीटीएसएल, आगरा द्वारा किया जायेगा।
20. अनुबन्ध अवधि में अनुबन्ध समाप्त करने हेतु दोनों पक्षों को एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा।

01-07-2021

प्रशासनिक अधिकारी
एएमसीटीएसएल